अंचल अधिकारी ...कुडु... का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 240/2016

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

09.10.2020

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक--2074 / रा0, दिनांक--13.05.2016 संप्रेषित श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या--3--खा0म0निति--119 / 85 / 2308 / रा0, दिनांक--03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या--914 / रा0, दिनांक--09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :

मौजा- [illegible] .... थाना- ...कुडु... खाता संख्या--...55/3... प्लॉट संख्या- 854, 776, 1951, 194, 853 रकबा ...4-92... एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-[illegible] के जिल्द संख्या ...9... के पृष्ठ संख्या--...62... पर जमाबंदी रैयत [illegible] के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध जोतदार बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं सरकार को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों / निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक ...15/10/2020... को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
16.10.2020	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो अभिलेख संलग्न है। जमाबंदी रैयत बुधु लोहार पिता विपैत लोहार के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँचोपरांत (चेकलिस्ट) में प्रतिवेदन प्राप्त है , जो बिन्दुवार निम्नवत है:– **खतियान की स्थिति:–** मौजा इट्टे थाना नं0 09 के सर्वे खतियान में खाता सं0 55 गैरमजुरूआ खास दर्ज है। **पंजी ii की स्थिति :–** मांग पंजी ii भाग सं0 1 पृष्ट सं0 62 में दर्ज जमाबंदी रैयत बुधु लोहार पिता विपैत लोहार के नाम से खाता सं0 55 प्लॉट सं0 854 776, 1951, 1944 एवं 853 रकबा क्रमशः 0.60, 0.83, 1.21, 1.90 एवं 0.38 कुल रकबा 4.92 एकड़ भूमि का प्राधिकार कॉलम में आधार दर्ज नहीं है, मांग पंजी 2 में वर्ष 1988–89 प्रवृष्टि की गई है। **भूमि का वर्तमान स्वरूप:–** खाली परती है। **दखल कब्जा कि स्थिति:–**जमाबंदी रैयत व वंशजों का उक्त खाता नं0 55 प्लॉट सं0 854, 776, 1951, 1944 एवं 853 रकबा क्रमशः 0.60, 0.83, 1.21, 1.90 एवं 0.38 कुल रकबा 4.92 एकड़ भूमि पर दखल कब्जा नहीं है। **स्थल जॉच:–** जमाबंदी रैयत या इनके वंशजों का मौजा इट्टे खाता नं0 55 प्लॉट सं0 854, 776, 1951, 1944 एवं 853 रकबा क्रमशः 0.60, 0.83, 1.21, 1.90 एवं 0.38 कुल रकबा 4.92 एकड़ भूमि पर दखल नहीं पाया गया। जमाबंदी रैयत वंशज या अन्य कोई भी व्यक्ति सुनवाई के क्रम में उपस्थिति नहीं दी गई। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आवलोकन से ज्ञात होता है कि अंचल कार्यालय में उपलब्ध भूदान वितरण पंजी में जमाबंदी रैयत का नाम दर्ज है। किन्तु सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। प्रतिवेदनानुसार पंजी ii के भाग सं0 1 पृष्ट सं0 62 में दर्ज खाता सं0 55 प्लॉट सं0 854, 776, 1951, 1944 एवं 853 रकबा क्रमशः 0.60, 0.83, 1.21, 1.90 एवं 0.38 कुल रकबा 4.92 एकड़ भूमि का साक्ष्य के रूप में अधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। के आधार पर प्रश्नगत भूमि मौजा इट्टे थाना नं0 09, खाता सं0 55 प्लॉट सं0 854, 776, 1951, 1944 एवं 853 रकबा क्रमशः 0.60, 0.83, 1.21, 1.90 एवं 0.38 कुल रकबा 4.92 एकड़ भूमि को उक्त कारणों के आधार पर अवैध जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित। 16/10/2020 अंचल अधिकारी कर्रा। 16/10/2020 अंचल अधिकारी कर्रा।	